न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 32/2017 GCMS No 2017/00197
दायरा तिथि : 11.09.2017
फैसला तिथि : 1-10-2021
प्रार्थीगण::–

1. हंसाराम पुत्र थानारामजी
2. शान्ति पुत्री थानारामजी
3. अंशी पुत्री थानारामजी
4. दरिया पुत्री थानारामजी
5. कमला पुत्री थानारामजी
6. दाकु पुत्री थानारामजी
7. सावलीया पुत्र गोमा
8. भाणीय पुत्र गोमा
9. मानीया पुत्र गोमा जातिगण मेणा
निवासीगण सेवाडी तहसील बाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 1-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/83 अनवान् थाना वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 25.09.1985 को पारित निर्णय अनुसार ग्राम सेवाडी के गत् खसरा नंबर 750/3 रकबा 6.3 बीघा के तूल्य भूमि का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री की पालना में सेवाडी के हाल खसरा नंबर में रकबा 3.05 हैक्टर का ही खातेदार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण को दर्ज किया है। जिससे न्यायालय की डिक्री अनुसार रकबा 3.05 हैक्टर की बजाय रकबा 6.3 बीघा का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3129 से 3156 खसरा नंबर गत् खसरा नंबर 750 से बने है। मौके पर समस्त खसरे विभिन्न खातेदारो एवं राजकीय खाते में दर्ज हैं। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत् खसरा नंबर 750 के 30 से अधिक नये खसरे बनने तथा प्रार्थी के आवेदन में नये खसरा नंबर उल्लेख नहीं होने एवं निर्णय में भी गत् खसरा नंबर का ही उल्लेख होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली के जबाव के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के माध्यम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/83 अनवान थाना वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली में वादीगण को धारा 88 के तहत दिनांक 25.09.1985 को पारित निर्णय अनुसार सेवाडी के गत् खसरा नंबर 750/3 रकबा 6.3 बीघा के तूल्य भूमि का खातेदार न्यायालय की डिक्री का **Execution** करते हुये दर्ज किये जाने की मांग की गई। जबकि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सेवाडी के गत् 750 से नवीन खसरे करीब 30 से अधिक बने है। मिलान क्षैत्रफल से हाल खसरा नंवर वनने की पुष्टि नहीं होती है एवं निर्णय में गत् खसरा नंबर का ही उल्लेख होने से **Execution** संभव नहीं हैं। इसके साथ ही प्रार्थीगण नये रेकर्ड में 3.05 हैक्टर की खातेदारी दर्ज होना प्रार्थना पत्र में स्वीकार करते है। जो रकवा 6.3 बीघा(0.98 हैक्टर) से काफी ज्यादा है। जिससे प्रार्थीगण न्यायालय डिक्री की पालना में किसी प्रकार की भूमि पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 1-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner